रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032024-252901
CG-DL-E-12032024-252901

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1188] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 11, 2024/फाल्गुन 21, 1945
No. 1188] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 11, 2024/PHALGUNA 21, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 11 मार्च, 2024
सं. 73 / 2023

विषय : काइटिन, काइटोसन, काइटोसन साल्ट्स काइटोसन साल्ट्स, (काइटोसन हाइड्रोक्लोराइड काइटोसन ऐसिटेट, काइटोसन लेक्टेट) और काइटोसन डिरीवेटिव्स (काइटोसन सक्सिनामाइड) के निर्यात के लिए नीतिगत शर्त को शामिल करना।

का.आ.1250(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (वर्ष 1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) 2023 की अनुसूची–2 (निर्यात नीति) के आईटीसी (एचएस) कोड 39139090 के अंतर्गत निम्नानुसार नीतिगत शर्त को शामिल करती हैः

आईटीसी (एचएस) कोड	इकाई	विवरण	निर्यात नीति	नीतिगत भार्त
39139090	कि. ग्रा.	अन्य	मुक्त	काइटिन, काइटोसन, काइटोसन साल्ट्स, काइटोसन साल्ट्स (काइटोसन हाइड्रोक्लोराइड, काइटोसन ऐसिटेट, काइटोसन लेक्टेट) और काइटोसन डिरीवेटिव्स (काइटोसन सक्सिनामाइड) का निर्यात 'मुक्त' है तथापि यूरोपीय संघ हेतु निर्यात निम्नलिखित भार्तों के अध्यधीन अनुमत हैः– i. सीएपीईएक्सआइएल द्वारा निर्यातक का नाम और पता,

				पंजीकृत प्लांट का पता, निर्यातक की आईईसी सं. प्लांट अनुमोदन संख्या, निर्यात उत्पाद का स्वरुप, मात्रा, बीजक संख्या और तिथि, लदान पत्तन (पत्तन का नाम) और गंतव्य का विवरण द” ाति हुए खेप–वार एक 'पोतलदान निकासी प्रमाण पत्र जारी' किया जाएगा। ii. शिपमेंट किए जाने के पश्चात, निर्यातक उत्पाद के एचएस कोड, पैकेजिंग, इसका उद्गम, गंतव्य, पोत का नाम, प्रस्थान की तिथि, स्वास्थ्य संबंधी ज़रुरतें आदि विवरण के साथ क्रेता को खेप–वार एक 'स्वास्थ्य प्रमाणपत्र भी प्रदान करेगा, यह स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सीएपीईएक्सआईएल और क्षेत्रीय संगरोध पशु अधिकारी, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि और कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रुप से जारी किया जाएगा।

इस अधिसूचना का प्रभावः आईटीसी–एचएस कोड 39139090 के तहत यूरोपीय संघ (ईयू) देशों के लिए काइटिन, काइटोसन, काइटोसन साल्ट्स, काइटोसन साल्ट्स (काइटोसन हाइड्रोक्लोराइड, काइटोसन ऐसिटेट, काइटोसन लेक्टेट) और काइटोसन डिरीवेटिव्स (काइटोसन सक्सिनामाइड) के निर्यात के लिए नीतिगत शर्तों को शामिल किया जाता है।

[फा. सं. 01/91/191/062/एएम–24/ईसी/ई–38321]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार

पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department Of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2024

No. 73/2023

Subject: Incorporation of Policy condition for export of Chitin, Chitosan, Chitosan Salts, Chitosan Salts (Chitosan Hydrochloride, Chitosan Acetate, Chitosan Lactate) and Chitosan Derivatives (Chitosan Succinamide).

S.O 1250(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, the Central Government hereby incorporates policy conditions against ITC HS code 39139090 of Schedule -2 (Export Policy) of ITC (HS) 2023, as under: -

ITC (HS) Code	Unit	Description	Export Policy	Policy Condition
39139090	Kg	Other	Free	Export of Chitin, Chitosan, Chitosan Salts, Chitosan Salts (Chitosan Hydrochloride, Chitosan Acetate, Chitosan Lactate) and Chitosan Derivatives (Chitosan Succinamide) is 'Free' however export to European Union is allowed subject to the following conditions: - i. A'ShipmentClearance Certificate' is to be issued consignment-wise by the CAPEXIL indicating details of the name and address of the exporter, address of the registered plant, IEC No. of the exporter, Plant approval Number, nature of export product, quantity, invoice number and date, port of loading (name of the port) and destination.

				ii. After the shipment is made, the exporter shall also provide a ‘Health Certificate’ consignment-wise to the buyer giving details of the product with HS Code, packaging, its origin, destination, vessel name, date of departure, health requirements, etc. this Health Certificate would be issued jointly by CAPEXIL and Regional Animal Quarantine Officer, Department of Animal Husbandary, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India

Effect of This Notification: Policy conditions for export of Chitin, Chitosan, Chitosan Salts, Chitosan Salts (Chitosan Hydrochloride, Chitosan Acetate, Chitosan Lactate) and Chitosan Derivatives (Chitosan Succinamide) to European Union (EU) countries under ITC-HS Code 39139090 is incorporated.

[F. No. 01/91/191/062/AM-24/EC/E-38321]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade

Ex- Officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA